राष्ट्रीय महिला आयोग
दिनांक 28 मई, 2024 को आयोजित आयोग की
238वीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थित:

1.	सुश्री रेखा शर्मा	-	अध्यक्षा
2.	सुश्री डेलिना खोंदुप	-	सदस्य
3.	सुश्री मीनाक्षी नेगी	-	सदस्य सचिव

अन्य उपस्थित:

1.	श्री ए. अशोली चलाई	-	संयुक्त सचिव
2.	डॉ. शिवानी दे	-	उप-सचिव
3.	श्री राजेश सिंह बिष्ट	-	वेतन एवं लेखा अधिकारी
4.	श्री आशुतोष पांडे	-	अवर सचिव (सा.प्र.)
5.	सुश्री शालिनी रस्तोगी	-	अवर सचिव (स्था.)
6.	श्री मनमोहन वर्मा	-	विधि अधिकारी
7.	सुश्री कंचन खट्टर	-	वरिष्ठ समन्वयक
8.	सुश्री एम. लीलाबती	-	वरिष्ठ समन्वयक
9.	सुश्री देबलीना बैनर्जी	-	परामर्शदाता
10.	सुश्री सुरुचि पुंज	-	अध्यक्षा की निजी सहायक
11.	श्री अतुल सिन्हा	-	वरिष्ठ प्रोग्रामर
12.	श्री राजेश कपूर	-	वरिष्ठ सलाहकार

प्रारंभ में, सदस्य सचिव ने राष्ट्रीय महिला आयोग की 238वीं बैठक में अध्यक्षा, सदस्यों, अधिकारियों और पदाधिकारियों का स्वागत किया।

बैठक के दौरान प्रत्येक कार्यसूची मद पर निम्नलिखित निर्णय लिए गए :-

1. **कार्यसूची मद सं.- 238/I/1**
   विषय : 25 अप्रैल, 2024 को आयोजित आयोग की 237वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

   आयोग की 237वीं बैठक का कार्यवृत्त समस्त सदस्यों को परिचालित किया गया था। चूंकि, इस संबंध में किसी से भी कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई, इसलिए आयोग द्वारा इसकी पुष्टि कर दी गई।

2. **कार्यसूची मद सं.- 238/I/2**
   विषयः की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

   आयोग द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 2024 को आयोजित आयोग की 237वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पर संज्ञान लिया गया।

3. **कार्यसूची मद सं.- 238/I/3**

विषय : "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013 की प्रभाविकता एवं उसके बाद के नियमों पर अध्ययन : असम का अध्ययन (2018-19)"

आयोग द्वारा प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया और निम्नलिखित के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया :-

i. अंतिम रिपोर्ट की स्वीकृति

ii वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा मूल बिलों/वाउचरों के सत्यापन के अध्यधीन चंद्रप्रभा सैकियानी महिला अध्ययन केंद्र, तेजपुर विश्वविद्यालय, असम को 2,85,000/- रु. (दो लाख पचासी हजार रुपये मात्र) की शेष राशि प्रदान करना।

iii. रिपोर्ट की एक प्रति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय को प्रेषित करना।

iv. रिपोर्ट की एक प्रति राष्ट्रीय महिला आयोग के पुस्तकालय में रखना।

4. **कार्यसूची मद सं.- 238/I/4**

विषय : "साइबर स्पेस की चुनौतियाँ : नागालैंड में महिलाओं के लिए साइबर अपराधों की जटिलताओं का अन्वेषी अध्ययन"

आयोग द्वारा प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया और निम्नलिखित के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया :-

1. अंतिम रिपोर्ट की स्वीकृति,
2. वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा मूल बिलों/वाउचरों के सत्यापन के अध्यधीन टेस्टो कॉलेज, नागालैंड को 4,97,450/-रूपये (चार लाख सत्तानवें हजार चार सौ पचास रूपये) की शेष राशि प्रदान करना,
3. रिपोर्ट की एक प्रति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को प्रेषित करना,
4. रिपोर्ट की एक प्रति राष्ट्रीय महिला आयोग के पुस्तकालय में रखना।

5. **कार्यसूची मद सं.- 238/I/5**

विषय :- वर्ष 2024-25 के लिए विधि समीक्षा

आयोग द्वारा प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया और उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए पाँच क्षेत्रीय परामर्श के आयोजन के प्रयोजनार्थ प्रत्येक परामर्श के लिए 5,50,000/- रुपये (पाँच लाख पचास हजार रुपये मात्र) की दर से 27,50,000/- रुपये (सत्ताईस लाख पचास हजार रुपये मात्र) के कुल अनुमानित बजट को अनुमोदन प्रदान किया गया। यह भुगतान वास्तव में किए गए व्यय के अनुसार प्रत्येक परामर्श के लिए निर्धारित उपर्युक्त मीमा के अध्यधीन होगा।

6. कार्यसूची मद सं.- 238/I/6

विषय: प्रसार भारती के साथ मीडिया संबंधी कार्यों के लिए अग्रिम राशि के भुगतान का निपटान

आयोग द्वारा प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया और महिलाओं के यौन उत्पीड़न (POSH) अधिनियम एवं घरेलू हिंसा अधिनियम से संबंधित मामलों पर केंद्रित जागरूकता कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए प्रसार भारती को दिए गए 1,49,17,748/- रु. (एक करोड़ उन्नचास लाख सत्रह हजार सात सौ अड़तालीस रुपये मात्र) की अग्रिम राशि के निपटान को अनुमोदन प्रदान किया गया।

7. कार्यसूची मद सं.- 238/I/7

विषय : वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के वार्षिक लेखे

आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के वार्षिक लेखों का अध्ययन एवं अनुमोदन प्रदान किया गया। आयोग द्वारा वार्षिक लेखों को लेखा परीक्षा के लिए महानिदेशक लेखा परीक्षा केंद्रीय व्यय (डीजीएसीई) के कार्यालय को भेजने के लिए भी अनुमोदन प्रदान किया गया।

बकाया देयताओं के निपटान के प्रयोजनार्थ प्रयास करने के लिए निदेशित किया गया।

8. कार्यसूची मद सं.- 238/II/1

विषय : वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विस्तृत शीर्षवार बजट आवंटन, वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के लिए प्राप्त कुल अनुदान, अप्रैल, 2024 माह के दौरान किया गया व्यय एवं दिनांक 30.04.2024 तक उपलब्ध अव्ययित शेष।

आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट आवंटन, 2024-25 की पहली तिमाही के लिए प्राप्त कुल अनुदान, अप्रैल, 2024 माह के लिए किए गए व्यय एवं दिनांक 30.04.2024 तक उपलब्ध अव्ययित शेष पर संज्ञान लिया गया।

9. कार्यसूची मद सं.- 238/II/2

विषय: मासिक रिपोर्ट – अप्रैल, 2024 : शिकायत एवं जाँच प्रकोष्ठ

आयोग द्वारा कार्यसूची में दिए गए विवरण के अनुसार शिकायत और जांच प्रकोष्ठ से संबंधित मासिक रिपोर्ट (अप्रैल, 2024) पर संज्ञान लिया गया।

10. तालिका कार्यसूची मद सं.- 238/टी/1

विषय: राष्ट्रीय महिला आयोग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में वृद्धि

राष्ट्रीय महिला आयोग में कार्यरत संविदात्मक कर्मचारियों के कार्य निष्पादन के आधार पर आयोग द्वारा कार्यसूची में उल्लिखित 24 संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में दिनांक 1 मई, 2024 से वृद्धि को अनुमोदन प्रदान किया गया। उपर्युक्त वृद्धि के कारण कुल वित्तीय व्यय 16,99,200/- रु. (सोलह लाख निन्यानवे हजार दो सौ रुपये मात्र) प्रति वर्ष होगा।

यह निर्णय लिया गया कि आयोग की अगली बैठक दिनांक 26 जून, 2024 को प्रातः 11 बजे आयोजित की जाएगी।

अध्यक्षा को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई।

ह०

मीनाक्षी नेगी
सदस्य सचिव

ह०

रेखा शर्मा
अध्यक्षा